<u>न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1 भदोही।</u>

उपस्थित :– **(डॉ० अमित वर्मा)**

जे.ओ. कोड–यू.पी. 2412

<u>सत्र परीक्षण संख्या– 28 सन् 2021</u>

CNR No. UPSN010000992021

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन

बनाम

1. चिंटू उर्फ़ राकेश यादव पुत्र बैजनाथ यादव
2. सिंटू उर्फ़ कमलेश यादव पुत्र मूलचंद यादव उर्फ़ मुन्ना यादव

निवासीगण बैराखास थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।

.................अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–233/2020

धारा– 302/34 भारतीय दंड संहिता

थाना–ज्ञानपुर , जिला–भदोही

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत दाण्डिक सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण चिंटू उर्फ़ राकेश यादव पुत्र बैजनाथ यादव व सिंटू उर्फ़ कमलेश यादव पुत्र मूलचंद यादव उर्फ़ मुन्ना यादव, निवासीगण बैराखास थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही का परीक्षण थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही द्वारा अपराध संख्या–233 सन् 2020 में प्रेषित आरोप–पत्र प्रदर्श क–8 पर विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–302/34 भारतीय दंड संहिता के लिए किया गया है।

2. संक्षेप में, प्रस्तुत प्रकरण में उप–निरीक्षक महेंद्र कुमार द्वारा दिनांक 21.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक ज्ञानपुर को प्रार्थना पत्र प्रदर्श क–3 अभियोग पंजीकृत करने हेतु यह अवगत कराते हुए दिया गया कि थाना कार्यालय ज्ञानपुर से जांच हेतु प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट PM NO–271/20 दि० 18.10.2020 मय पंचायतनामा मूल मृतक मोहित यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी बैराखास थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक मोहित उपरोक्त की मृत्यु का कारण एन्टीमार्टम थ्रॉटलिंग है तथा उक्त के सम्बन्ध में गहराई से जांच उसके द्वारा किया गया तो यह तथ्य संज्ञान में आया है कि मृतक के भाई सिंटू उर्फ कमलेश यादव ने शराब के नशे मे चाचा चिन्टू उर्फ राकेश यादव पुत्र बैजनाथ के साथ मिलकर मृतक मोहित द्वारा दि0–15.10.2020 को चाचा चिन्टू उर्फ राकेश के घर हुई पार्टी में शराब पीने की बात को गांव में बताये जाने की बात को लेकर दिनाँक 17.10.2020 को रात मे समझाने और सख्ती करने के दौरान न मानने पर मारपीट दिये थे और गला दबा दिये थे जिसके कारण मृतक मोहित का शरीर शिथिल हो गया था डर कि वजह से दोनो ने मिलकर मृतक मोहित को घर के पास ही थ्रेसर के सहारे गले मे रस्सी बांधकर आत्महत्या का रूप देने के लिए जमीन पर रख दिया था।

खोजबीन पर जब घर वालो ने मृतक मोहित यादव को थ्रेसर के पास रात 9 बजे गले मे रस्सी बँधा देखा था तो शोरगुल किये और इलाज हेतु अस्पताल भदोही लेकर गये थे जहाँ डाक्टरो ने मृत घोषित कर दिया था। सिन्टू उर्फ कमलेश पुत्र मुन्ना यादव व चिन्टू उर्फ राकेश पुत्र वैजनाथ यादव द्वारा गैर इरादतन मोहित की हत्या कारित की गयी है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण के सम्बन्ध मे प्राथमिकी दर्ज कराने की कृपा की जाये। उपरोक्त के अनुसार प्राथमिकी अभियुक्तगण के विरुद्ध सम्बंधित थाने में दर्ज की गई। इस प्रकरण में दिनांक 17.10.2020 को मोहित यादव (मृतक) के पिता मुन्ना यादव द्वारा एक लिखित तहरीर प्रदर्श क–1, प्रभारी निरीक्षक थाना ज्ञानपुर जिला भदोही को इस आशय से दी गई कि वह ग्राम बैराखास, थाना ज्ञानपुर जिला भदोही का रहने वाला है। शाम करीब 9 बजे रात उसका लड़का मोहित यादव उम्र करीब 16 वर्ष अज्ञात कारणों से फांसी लगा लिया था, जिसे इलाज हेतु जीवनदीप हॉस्पिटल भदोही तत्काल लेकर गए जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र दे रहा है।

3. वादी मुकदमा उप निरीक्षक महेंद्र कुमार द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र प्रदर्श क–3 के आधार पर अभियुक्तगण सिंटू उर्फ़ कमलेश यादव और चिंटू उर्फ़ राकेश यादव, निवासी ग्राम बैराखास ज्ञानपुर, जिला भदोही के विरुद्ध सम्बंधित थाने पर मुकदमा अपराध संख्या–233 सन् 2020, धारा– 304 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद विवेचना विवेचक के द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण सिंटू उर्फ़ कमलेश यादव और चिंटू उर्फ़ राकेश यादव के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा– 302 भारतीय दंड संहिता, न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर द्वारा संज्ञान लिया गया और मामला सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर पत्रावली दिनांक 07.01.2021 को सत्र सुपुर्द की गयी। माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश के द्वारा पत्रावली अन्ततः अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, भदोही–ज्ञानपुर के न्यायालय में अन्तरित की गयी।

4. अभियुक्तगण सिंटू उर्फ़ कमलेश यादव और चिंटू उर्फ़ राकेश यादव के विरूद्ध आरोप दिनांक 30.01.2021 को धारा– 302/34 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।

5. प्रस्तुत प्रकरण अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में अभियोजन साक्षीगण का संपूर्ण विवरण प्रारुप में निम्नवत है–

अभियोजन साक्षी संख्या	**अभियोजन साक्षी नाम**	**विवरण**
1.	मूलचंद यादव	मृतक के पिता
2.	सीमा	गवाह (मृतक की भाभी)

3.	प्रवीण प्रजापति	गवाह पंचनामा
4.	प्रेमप्रकाश प्रजापति	गवाह
5.	रजत उपाध्याय	गवाह
6.	प्रसेनजीत प्रजापति	गवाह
7.	धीरज विश्वकर्मा	गवाह
8.	बाबा यादव	गवाह पंचनामा
9.	गुलाब	गवाह पंचनामा
10.	उप निरीक्षक महेंद्र कुमार	गवाह (प्रार्थना पत्र–अभियोग पंजीकृत कराने हेतु), प्रार्थना पत्र रिज़र्व पुलिस लाइन ज्ञानपुर, प्रार्थना पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी–भदोही, पुलिस फॉर्म संख्या–13 ,फोटोनाश
11.	हेड कांस्टेबल राम विलास	जी.डी. लेखक, चिक F.I.R.
12.	डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता	शव विच्छेदन रिपोर्ट
13.	निरीक्षक किरन कुमार सिंह	विवेचक
14.	उप निरीक्षक अरविन्द कुमार सिंह	नक्शा नजरी तैयारकर्ता

6. अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित कराया गया तथा साक्ष्य अभियोजन समाप्त किया गया और अभियोजन द्वारा दाखिल प्रपत्रों पर नियमानुसार प्रदर्श डाले गये।

दिनांक 02.07.2026 को अभियोजन/अपर शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा एक प्रार्थना पत्र 60 ख न्यायालय के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उक्त पत्रावली में तयारी के दौरान यह ज्ञात हुआ कि कागज़ संख्या 12 अ/2 पर प्रदर्श क–5 , 13 अ पर प्रदर्श क–6, 14 अ पर प्रदर्श क–7 डाला जा चुका है उसके ऊपर कागज़ संख्या 8 अ जी.डी. पर प्रदर्श क–5 तथा चिक पर 7 अ को प्रदर्श क–6 डाल दिया गया। जिसकी त्रुटि सुधार इस प्रकार किया जाना आवश्यक है : कागज़ संख्या 8 अ पर प्रदर्श क –5 A, कागज़ संख्या 7 अ/1 व 2 पर प्रदर्श क –6 A तथा कागज़ संख्या 15 पर प्रदर्श क –7A ।

उक्त प्रार्थना पत्र बचाव पक्ष द्वारा देखा गया परन्तु उक्त पर कोई आपत्ति नहीं की गई। इस दशा में प्रार्थना पत्र 60 ख दिनांक 02.07.2026 को स्वीकृत किया गया, तथा उपरोक्त प्रदर्श संख्याओं को तदनुसार दुरुस्त किया गया।

प्रदर्श संख्या	**प्रदर्श विवरण**	**पुष्टिकर्ता**
प्रदर्श क–1	लिखित सूचना	अभियोजन साक्षी क्रमांक –1
प्रदर्श क–2	पंचायतनामा	अभियोजन साक्षी क्रमांक –3
प्रदर्श क–3	महेंद्र कुमार उप निरीक्षक चौकी असनाँव, थाना ज्ञानपुर द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने बाबत दिया गया प्रार्थना पत्र	अभियोजन साक्षी क्रमांक –10
प्रदर्श क–4	रिज़र्व पुलिस लाइन ज्ञानपुर को दिया गया प्रार्थना पत्र	अभियोजन साक्षी क्रमांक –10

प्रदर्श क–5	मुख्या चिकित्साधिकारी जनपद भदोही को दिया गया प्रार्थना पत्र	अभियोजन साक्षी क्रमांक –10
प्रदर्श क–5A	जी.डी रोजनामचा संख्या 52	अभियोजन साक्षी क्रमांक –11
प्रदर्श क–6	पुलिस फॉर्म संख्या 13	अभियोजन साक्षी क्रमांक –10
प्रदर्श क–6A	चिक एफ.आई.आर	अभियोजन साक्षी क्रमांक –11
प्रदर्श क–7	फोटोनाश	अभियोजन साक्षी क्रमांक –10
प्रदर्श क–7A	पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट	अभियोजन साक्षी क्रमांक –12
प्रदर्श क–8	आरोप पत्र	अभियोजन साक्षी क्रमांक –13
प्रदर्श क–9	नक्शा नज़री	अभियोजन साक्षी क्रमांक –14
प्रदर्श क–10	जी.डी रोजनामचा संख्या 49	अभियोजन साक्षी क्रमांक –14

7. अभियुक्तगण का बयान अन्र्तगत धारा– 313 दंड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया या है और कहा है कि तथ्यों के साक्षियों द्वारा उनके विरुद्ध बयान नहीं दिया गया है । पुलिस ने रंजिशन झूठा केस बनाया है। स्थानीय पुलिस उनके गाँव के कुछ लोगों से मिलकर अवैध शराब बिकवाती थी जिसकी शिकायत उसने किया था, उसी रंजिश के कारण पुलिस ने झूठा केस बनाया है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है।

8. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपना मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण ने शराब के नशे मे साथ मिलकर मृतक मोहित द्वारा दि0–15.10.20 को चाचा चिन्टू उर्फ राकेश के घर हुई पार्टी में शराब पीने की बात को गांव में बताये जाने की बात को लेकर मारपीट दिया था और गला दबा दिया था जिसके कारण मोहित (मृतक) का शरीर शिथिल हो गया था डर कि वजह से दोनो ने मिलकर मृतक को घर के पास ही थ्रेसर के सहारे गले मे रस्सी बांधकर आत्महत्या का रूप देने के लिए जमीन पर रख दिया थे। अभियुक्तगण द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया है।

9. जबकि अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है, गलत तौर पर रंजिशन उन्हें पुलिस द्वारा झूठे मुक़दमे में फंसाया जा रहा है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के साक्षियों द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध बयान नहीं दिया गया है। अभियोजन द्वारा संदेहों से परे यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित कोई अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने

हेतु निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित किया गया है, जिनके द्वारा दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है:–

अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 मूलचंद यादव पुत्र माताप्रसाद यादव के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ बयान दिया गया है कि दिनांक 17.10.2020 की घटना है। उसका लड़का मोहित यादव गले में रस्सी से थ्रेसर से लटका हुआ था, उसने मोहित को रस्सी के सहारे थ्रेसर से लटके हुए देखा था, उसकी शरीर गरम थी। वे व उसका लड़का कमलेश, मोहित को जीवनदीप अस्पताल ले गए थे। वहां पर डॉक्टर ने बताया कि मोहित की मृत्यु हो चुकी है। तब मोहित की लाश लेकर घर आये। उसे मुन्ना यादव भी कहते थे। उसने चौकी असनांव पर मौखिक सूचना दिया था, तब पुलिस उसके घर आई थी। उसके घर से मोहित की लाश पुलिस वाले लेकर थाना ज्ञानपुर आये थे थाने में तहरीर लिखवाकर उसने अपना हस्ताक्षर करके दिया था। तहरीर शामिल मिसिल कागज़ संख्या 11 पर साक्षी ने अपना हस्ताक्षर तस्दीक किया जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उसकी जानकारी में बैधनाथ के लड़के राकेश @ चिंटू के घर पर शराब, मुर्गा की पार्टी नहीं हुई थी। उसका बैधनाथ के यहाँ खाना पीना होता है, कोई झगड़ा विवाद होने की उसे जानकारी नहीं है । पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था ।

अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 सीमा पत्नी राजेश उर्फ़ रघु के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ बयान दिया गया है कि दिनांक 17.10.2020 की घटना है। वह खाना खाकर अपने बच्चो के साथ अपने कमरे में लेटी हुई थी, अचानक उसके सास के रोने चिल्लाने की आवाज पर बाहर आई तो वहां उसके देवर मोहित की लाश थ्रेसर के सहारे बैठी हुई दशा में थी तथा गर्दन में रस्सी लगी थी और थ्रेसर से बंधी हुई थी। उसकी सास मोहित को पकड़कर रो रही थी। कुछ देर बाद मोहित की लाश को उसके देवर कमलेश, चचेरे ससुर चिंटू, उसके ससुर मूलचंद मोटरसाइकिल से लेकर अस्पताल चले गए। कुछ देर बाद घर वापस आ गए उसके दरवाजे पर पुलिस वाले आये थे वहीं पर लिखा पढ़ी किये थे। पंचनामा के समय किसी ने सिंटू उर्फ़ कमलेश, चिंटू उर्फ़ राकेश के बारे में कोई शिकायत नहीं किया था। सिंटू उर्फ़ कमलेश और चिंटू उर्फ़ राकेश ने मोहित को मारा पीटा नहीं था और न मोहित की हत्या किया था। उसके घर में वह, उसेक पति, उसकी सास, ससुर रहते है और पूरा परिवार साथ रहता है। उसके सामने चिंटू, सिंटू ने मोहित को न मारा पीटा था न चोट पहुंचाई थी। राकेश यादव के घर पर कोई शराब पार्टी नहीं हुई थी और न उसको लेकर मोहित ने किसी की शिकायत किया था। सिंटू और चिंटू ने उसकी जानकारी में मोहित के साथ कोई घटना नहीं कारित की, पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था।

अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 प्रवीण प्रजापति के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ बयान दिया गया है कि दिनांक 17.10.2020 की घटना है। उसके गाँव का मोहित यादव आत्म हत्या कर लिया था जिसकी जानकारी उसे लोगों से सुनी सुनाई बातो से हुई थी घटना उसने देखा नहीं था।

उस दिन वह विंध्याचल चला गया था, घर लौट कर आने पर घटना की जानकारी हुई। उसके पिता के साथ वह मोहित यादव के घर गया था। जहाँ पर गाँव वालो की भीड़ लगी हुई थी। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। थाने की पुलिस मौके पर आ गई थी। कुछ सादे पन्नो पर दस्तखत कराये थे उसी पर उसने भी हस्ताक्षर कर दिया था जिसे उसे पढ़कर सुनाया नहीं गया था। साक्षी ने पत्रावली में शामिल मिसिल संख्या 9 अ/1 लगायत 9 अ/2 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पुलिस ने घटना के बारे में उससे कुछ पूछा नहीं था उसने कमलेश यादव व राकेश यादव को घटना कारित करते देखा नहीं था।

अभियोजन साक्षी क्रमांक–4 प्रेमप्रकाश प्रजापति के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि वह मोहित यादव को जानता है, मोहित उसके गाँव का ही रहने वाला है। मोहित उसके दुकान पर कभी कभार आता था बराबर नहीं आता था। दिनांक 17.10.2020 को मोहित यादव उसके दुकान पर नहीं आया था। चिंटू यादव उसके दुकान पर दिनांक 17.10.2020 को नहीं आया था क्योकि दुकान पर उसकी अनुपस्थिति में उसके पिता रहते थे। मोहित यादव की आत्म हत्या कर लेने वाली बात उसके जानकारी में नहीं है, उसके अगले दिन सुबह जानकारी हुई कि मोहित आत्म हत्या कर लिया है। उसने मोहित यादव के शरीर को नहीं देखा था, उसे यह जानकारी नहीं है कि चिंटू @ राकेश को पुलिस वाले मोहित कि हत्या के आरोप में गिरफ्तार किये थे। इसके बारे में जानकारी नहीं है।

अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 रजत उपाध्याय के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 17–10–2020 को उसकी दुकान पर मोहित नहीं आया था और न चिंटू उर्फ़ राकेश ही आया था। वह चिंटू उर्फ़ राकेश के यहाँ मुर्गा पार्टी में नहीं गया था। गाँव वालों से सुना था कि मोहित आत्म हत्या कर लिया है। दरोगा ने उसका बयान नहीं लिया था।

अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 प्रसेनजीत प्रजापति के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि मोहित यादव उसके गाँव का था जिसे वे जानता पहचानता था। दिनांक 17–10–2020 को मोहित यादव की अज्ञात कारणों से मृत्यु होने वाली बात उसने सुना था। उसने किसी प्रकार की कोई घटना कारित करते न किसी को देखा था और न घटनास्थल पर था। दरोगा ने उससे किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की थी।

अभियोजन साक्षी क्रमांक–7 धीरज विश्वकर्मा के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि वह अपने गाँव के मोहित से परिचित नहीं था। उसके पिता मुन्ना से परिचित था क्योकि मोहित उसकी उम्र का नहीं था। वह प्रवीण प्रजापति को जानता है उसके यहां बिजली वायरिंग का काम किया है। दिनांक 15.10.2020 को वह प्रवीण के साथ राकेश यादव @ चिंटू के यहाँ मुर्गा, गोश्त पार्टी में शामिल था। उसकी प्रवीण प्रजापति से दोस्ती है इस लिए उसके साथ उठना बैठना है। उसके दूसरे दिन अफवाह पता चली की मोहित ने थ्रेसर के पास आत्महत्या कर ली है उसकी लाश वहीं पड़ी है। वे भी मौके पर भीड़ में गया था उसके बाद वहां से चला आया था। पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था ।

अभियोजन साक्षी क्रमांक–8 बाबा यादव के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ

कथन किया गया है कि घटना दिनांक 18.10.2020 की है। मोहित यादव उर्फ़ मुन्ना उसके गाँव का ही है। मोहित यादव की लाश उसके मशीन पर मिली थी जिसकी लिखा पढ़ी मौके पर असनांव चौकी इंचार्ज द्वारा किया गया था। मौके पर वे भी था और उसके अलावा उसके गाँव के मुन्ना लाल, गुलाबधर और सुरेश कुमार यादव थे। जिन्होंने लिखा पढ़ी की उसने भी हस्ताक्षर बनाया था और वह लोग भी बनाए थे। साक्षी ने अपने बयान में प्रदर्श क–2 की पुष्टि की है ।

अभियोजन साक्षी क्रमांक–9 गुलाब के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि घटना दिनांक 18.10.2020 की है। मोहित यादव उर्फ़ मुन्ना उसके गाँव का ही है। मोहित यादव की लाश उसके मशीन पर पड़ी थी मौके पर पुलिस चौकी असनांव के इंचार्ज व गाँव वालो की भीड़ लगी हुई थी वहां पर मौके पर वह भी पहुंच गया। पुलिस द्वारा मौके पर ही पंचायतनामा की लिखा पढ़ी किया गया था उससे भी हस्ताक्षर कराये थे उसके अलावा मुन्ना यादव, सुरेश यादव, अमृतलाल यादव व बाबा यादव ने हस्ताक्षर बनाये थे, साक्षी ने कागज़ संख्या 9 अ/1 लगायत 9 अ/2 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिसपर पहले से प्रदर्श क–2 डाला जा चुका है।

अभियोजन साक्षी क्रमांक–10 उप–निरीक्षक महेंद्र कुमार वर्तमान तैनाती चौकी प्रभारी चौकी, जिला भदोही के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 21.10.2020 को मृतक मोहित यादव के आत्म हत्या की सूचना पर उसके हस्तलेख में पंचायतनामा मौके पर उपस्थित पंचान के समक्ष लिखा गया था जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–2 पहले से डाला जा चुका है बाद अवलोकन पोस्टमॉर्टम एंटीमॉर्टम थ्रॉटलिंग रिपोर्ट प्राप्त होने पर पोस्टमॉर्टम व पंचायतनामा की जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रभारी निरीक्षक द्वारा उसे दिया गया था जांच के दौरान संज्ञान में आया था कि मृतक मोहित का भाई सिंटू उर्फ़ कमलेश यादव अपने चाचा चिंटू उर्फ़ राकेश यादव के साथ मिलकर दिनांक 15.10.2020 को शराब पार्टी में पीने कि बात मृतक मोहित यादव द्वारा बताये जाने कि बात को लेकर 17.10.2020 को मोहित यादव के साथ मारपीट कर गला दबा दिया गया था जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी आत्महत्या क रूप देने के लिए घर के पास ही थ्रेसर के सहारे गले में रस्सी बांधकर जमीन में रख दिए थे। परिवार वाले 9 बजे रात अस्पताल ले गए थे जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था जांच के क्रम में उसके द्वारा प्रभारी निरीक्षक ज्ञानपुर को प्रार्थना पत्र अभियोग पंजीकृत करने हेतु दिया गया था जो शामिल मिसिल कागज़ संख्या 5 अ है जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। शामिल मिसिल कागज़ संख्या 12 अ/1 लगायत 12 अ /2 , 13 अ, 14 अ पर उसके हस्ताक्षर हैं जिसकी वह पुष्टि करता है जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–4 ,प्रदर्श क –5 ,प्रदर्श क–6 और प्रदर्श क–7 डाला गया है ।

अभियोजन साक्षी क्रमांक–11 हेड कांस्टेबल राम विलास थाना गोपीगंज जिला भदोही के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि वह दिनांक 21.10.2020 को थाना ज्ञानपुर में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था उस दिन वादी मुकदमा उप निरीक्षक महेंद्र कुमार की तहरीर के आधार पर G.D., मुकदमा अपराध संख्या 233/20 में उसके द्वारा कंप्यूटर पर अक्षरशः बोलकर किता कराया गया था। जो शामिल मिसिल कागज़ संख्या 8 अ उसके समक्ष है जिस पर थाने

की मुहर व इंस्पेक्टर के हस्ताक्षर है जिसकी वह पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–5A डाला गया, साक्षी ने थाने की मुहर व इंस्पेक्टर के हस्ताक्षर की पुष्टि कागज़ संख्या 7 अ/1 लगायत 7 अ/2 में की जिस पर प्रदर्श क–6A डाला गया।

अभियोजन साक्षी क्रमांक–12 डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता चिकित्सक M.B.S. अस्पताल भदोही के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 18.10.2020 को वह सी.ऍम.ओ. के निर्देशानुसार मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर में ड्यूटी पर थे उस दिन मोहित यादव की लाश सफ़ेद कपड़े में सील मुहर नमूना सहित 8 अन्वेषण प्रपत्रों के साथ C.P. अशोक कुमार व C.P. प्रवीण कुमार थाना ज्ञानपुर द्वारा उसके समक्ष लायी गई। साक्षी द्वारा शामिल मिसिल कागज़ संख्या 9 अ /1 लगायत 9 अ/2, 10 अ, 11 अ, 12 अ/1 लगायत 12 अ/2, 13 अ व 14 अ पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की गई। आगे साक्षी द्वारा कहा गया कि शव विछेदन रिपोर्ट उसके हस्तलेख में है, उक्त शव का विछेदन उसी दिन किया गया था। शव की शिनाख्त मृतक के पिता मुन्ना यादव व चचेरे भाई सुरेश कुमार यादव द्वारा किया गया। शव की लम्बाई 160 cm माध्यम औसत शरीर की बनावट पहनी हुई टीशर्ट, हाफ चड्ढी। शरीर में अकड़न उपस्थित–विघटन शुरू नहीं हुआ था। शव पर निम्न चोटें पाई गई –

––मुखगुहा बंद, नथुनों से झाग आ रहा था। प्राकृतिक द्वार सामान्य ।

बाह्य चोटें –

Abraded Contusion (निलगृ) 10cm x 2cm गर्दन के दाहिनी ओर उपस्थित है।

Abrasion (रगड़) 2x1cm दाहिने गर्दन पर उपस्थित है ।

Abrasion (रगड़) 3x1cm दाहिने कंधे के पीछे भाग पर उपस्थित।

Abrasion (रगड़) 2x.5cm दाहिने कंधे के टिप पर ।

Abrasion (रगड़) 7x.1cm लेफ्ट लेटरल इलियाक क्रेस्ट पर उपस्थित ।

आंतरिक परीक्षण –

करोटि सामान्य, मस्तिष्क –कंजेस्टेड, नासिका तथा कर्ण गुहा सामान्य, ग्रीवा मुख जीभ सामान्य, ग्रसनी कंजेस्टेड, कंठ नली ग्रीवा की आंतरिक उत्तक थाइरॉइड कंजेस्टेड, स्वास नली कंजेस्टेड, हापड अस्थि फ्रेक्चर्ड, छाती पसलिया सामान्य, स्वास नली तथा वायु प्रणाली के कोष्ठक परि फुस्फुस फेफड़े कंजेस्टेड। हृदय –राइट चैम्बर फिल्ड विथ ब्लड लेफ्ट खाली। बड़ी बड़ी रक्त वाहिनियां सामान्य। उदर – उदर भित्ति, उदर छेद सामान्य। अमाशय खाली था छोटी आंत में पेस्टी मटेरियल एवं गैस व बड़ी आंत में फीकल मटेरियल व गैस मौजूद। यकृत, पित्ताशय, प्लीहा, गुर्दा कंजेस्टेड था। मूत्राशय खाली था। जननांग सामान्य। रीढ़ या अल्ला तथा मेरुरज्जू खोला नहीं गया।

मृत्यु का संभावित समय एक दिन के अंदर, मृत्यु का तत्कालिक कारण Asphyxia (दम घुटना), वजह मृत्यु की – एंटीमॉर्टम थ्रॉटलिंग। बाद पोस्टमॉर्टम कुल 11 प्रपत्रों के साथ शव को सील बंद किया। सम्बंधित थाने के सिपाही अशोक कुमार व प्रवीण कुमार को सुपुर्द किया। शामिल मिसिल कागज़ संख्या 5 अ उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–7A डाला गया है।

अभियोजन साक्षी क्रमांक–13 निरीक्षक किरन कुमार सिंह वर्तमान तैनाती जनपद जौनपुर के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि कि दिनांक 21.10.2020 को वह प्रभारी निरीक्षक थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही के पद पर तैनात था। अपने उक्त तैनाती के दौरान उसने मुकदमा अपराध संख्या–233/2020 अन्तर्गत धारा–304 भारतीय दण्ड संहिता विरुद्ध सिन्टू उर्फ कमलेश यादव एवं चिन्टू उर्फ राकेश, उपनिरीक्षक महेन्द्र कुमार थाना ज्ञानपुर की लिखित तहरीर के आधार पर पंजीकृत कराया थां, जिसकी विवेचना उसके आदेश से चौकी प्रभारी ज्ञानपुर उप निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार सिंह द्वारा प्रारम्भ किया गया था। दौरान विवेचना चौकी प्रभारी द्वारा पर्चा संख्या–1 दिनांक 21.10.2020 को किता किया गया था, जिसके अन्तर्गत नकल चिक, नकल कायमी, अवलोकन पंचायतनामा, अवलोकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बयान एफ.आई.आर.लेखक हे० कां० राम विलास, बयान वादी उप निरीक्षक महेन्द्र कुमार, बयान मृतक की माँ सुरसती देवी एवं बयान मृतक के पिता मूलचन्द यादव पुत्र मुन्ना यादव का अंकित किया गया था। पर्चा संख्या–2 दिनांक 22.10.2020 को चौकी प्रभारी ज्ञानपुर अरविन्द सिंह द्वारा बयान गवाह प्रवीण कुमार प्रजापति एवं बयान गवाह रजत उपाध्याय, वादी की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल किया था व मौके पर नक्शानजरी चौकी प्रभारी ने तैयार किया था। अब तक की कार्यवाही से मृतक मोहित यादव की हत्या गला दबाकर करने के कारण साक्ष्य के आधार पर धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पाते हुए पंजीकृत अभियोग में धारा–304 भारतीय दण्ड संहिता का लोप करते हुए बहवाले रपट नं0 49 समय 15.04 दिनांक 22.10.2020 तरमीम किया गया था एवं अपराध में परिवर्तित धारा के अनुसार विवेचना उसको सुपुर्द किया गया था। पर्चा संख्या 3 दिनांक 22.10.2020 को उसके द्वारा किता किया गया जिसमें पूर्व के पर्चों का अवलोकन एवं गवाह श्री सचन प्रजापति, मुखबिर की सूचना पर दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का पर्याप्त साक्ष्य पाकर अभियुक्तगण की गिरफतारी कर थाने लाया गया एवं बयान अभियुक्त कमलेश कुमार यादव उर्फ सिन्टू व बयान अभियुक्त राकेश यादव उर्फ चिन्टू का अंकित किया। उसके द्वारा दिनांक–05.11.2020 को पर्चा नंबर–4 किता किया गया जिसमें अभियुक्तगण की चौदह दिवस की रिमाण्ड स्वीकृत किया गया। उसके द्वारा दिनांक–11.11.2020 को पर्चा नंबर–5 किता किया गया जिसमें बयान गवाह कान्स्टेबुल अशोक यादव एवं कान्स्टेबुल प्रवीण कुमार का बयान अंकित किया गया जिसके पश्चात पंचायतनामा के गवाहों की तलाश करता हुआ ग्राम बहरा खास पहुँचा मुन्ना यादव उर्फ मूल चन्द्र के घर पर पंचायतनामा के सभी गवाहों को तलब कर पूछताछ करते हुए बयान अंकित किया गया उक्त कार्यवाही के पश्चात जिला चिकित्सालय पहुँचकर पोस्ट मार्टम की कार्यवाही से सम्बन्धित सुशील कुमार गुप्ता का बयान अंकित किया जिसके पश्चात थाने से प्राप्त फौती सूचना का अवलोकन करते हुए नकल किया। उसके द्वारा दिनांक–15.11.2020 को पर्चा नंबर–6 किता किया गया जिसमें उसके द्वारा गवाह धीरज विश्वकर्मा का बयान अंकित किया गया जिसमें गवाह द्वारा गिरफ्तार सुदा दोनों अभियुक्तगण द्वारा मोहित की हत्या करने की वात बतायी गयी थी। इसके अतिरिक्त गवाह आरिफ उर्फ गुचू का बयान अंकित किया गया जिसमें गवाह ने दोनों गिरफ्तार सुदा अभियुक्तगण द्वारा मोहित की हत्या करने की बात बतायी गयी थी। इसके अतिरिक्त उसने रोहित उर्फ प्रसेनजीत प्रजापति एवं बुल्लू सरोज का भी बयान बतौर गवाह अंकित किया

था। उक्त दोनों गवाहों ने गिरफ्तार सुदा दोनों अभियुक्तगण द्वारा मोहित की हत्या करने की बात बतायी थी। उसके द्वारा दिनांक–16.11.2020 को पर्चा नंबर–7 किता किया गया जिसमें श्रीमती सीमा यादव का बयान बतौर गवाह अंकित किया था जिसमें गवाह द्वारा गिरफ्तार सुदा अभियुक्तगण चिन्टू और कमलेश द्वारा मृतक मोहित की हत्या किये जाने पर बयान दिया गया था। तमामी विवेचना, अवलोकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल आदि से अभियुक्तगण राकेश यादव उर्फ चिन्टू पुत्र बैजनाथ यादव एवं कमलेश यादव उर्फ सिंटू पुत्र मूलचन्द्र यादव उर्फ मुन्ना निवासीगण ग्राम बैराखास, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही, के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–302 IPC का पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अभियुक्तगणों का चालान जरिए आरोप पत्र संख्या–211/2020, दिनांक–16.11.2020 को माननीय न्यायालय भेजा गया था। पत्रावली में शामिल मिसिल कागज संख्या–3 अ/1 लगायत 3 अ/6 आरोप पत्र जो उसके द्वारा कम्प्यूटर पर बोलकर अंकित कराया गया है तथा उसके हस्ताक्षर में है वह अपने उक्त हस्ताक्षर की पुष्टि करता है तथा जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर भी उसका हस्ताक्षर है जिसकी वह पुष्टि करता है जिस पर पूर्व से ही प्रदर्श क–6 डाला गया है।

अभियोजन साक्षी क्रमांक–14 उप निरीक्षक अरविन्द कुमार सिंह हाल तैनाती वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना जकराबाद जिला जौनपुर के द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 21.10.2020 को वह क़स्बा चौकी इंचार्ज थाना ज्ञानपुर में तैनात था उस दिन उसके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 233 /20 धारा 304 आई. पी. सी. विरुद्ध सिंटू उर्फ़ कमलेश व चिंटू उर्फ़ राकेश विवेचना प्रारम्भ किया। उस दिन पर्चा नंबर 1 किता करते हुए नक़ल चिक, नक़ल कायमी, अवलोकन पंचायतनामा मृतक, अवलोकन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक, बयान वादी, बयान माता मृतक, बयान पिता मृतक क दर्ज किया गया है व पर्चा नंबर 2 दिनांक 22.10.2020 को किता करते हुए बयान गवाह प्रवीण कुमार प्रजापति, बयान गवाह रजत उपाध्याय, निरीक्षण घटनास्थल तथा धारा 304 IPC को परिवर्तित कर धारा 302 IPC में विवेचना प्रभारी निरीक्षक को अग्रसारित की गई । वादी के निशानदेही पर नक्शा नजरी उसके द्वारा तैयार किया गया । जिस पर उसके हस्ताक्षर है जो पत्रावली में कागज़ संख्या 6 अ के रूप में शामिल मिसिल है। साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिसपर प्रदर्श क –9 डाला गया। धारा तरमीमी जी.डी. रोजनामचा संख्या 49 समय व दिनांक क्रमशः 15:04 बजे 22.10.2020 उसके द्वारा तैयार किया गया है जो पत्रावली में कागज़ संख्या 16 अ के रूप में शामिल मिसिल है जिस पर उसके हस्ताक्षर है, अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क –10 डाला गया।

11. <u>निष्कर्ष</u>

पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण वादी मुकदमा उप–निरीक्षक महेंद्र कुमार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर पंजीकृत किया गया है। उप–निरीक्षक महेंद्र कुमार, चौकी असनाव थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही द्वारा दिनांक 21.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक ज्ञानपुर को प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने हेतु

यह अवगत कराते हुए दिया गया कि थाना कार्यालय ज्ञानपुर से जांच हेतु प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट मय पंचायतनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक मोहित उपरोक्त की मृत्यु का कारण एन्टीमार्टम थ्रॉटलिंग है तथा उक्त के सम्बन्ध में गहराई से जांच उसके द्वारा किया गया तो यह तथ्य संज्ञान में आया है कि मृतक के भाई सिंटू उर्फ कमलेश यादव ने शराब के नशे मे चाचा चिन्टू उर्फ राकेश यादव पुत्र वैजनाथ के साथ मिलकर मृतक मोहित द्वारा दि0–15.10.2020 को चाचा चिन्टू उर्फ राकेश के घर हुई पार्टी में शराब पीने की बात को गांव में बताये जाने की बात को लेकर दिनाँक 17.10.2020 को रात मे समझाने और सख्ती करने के दौरान न मानने पर मारपीट दिये थे और गला दबा दिये थे जिसके कारण मृतक मोहित का शरीर शिथिल हो गया था डर कि वजह से दोनो ने मिलकर मृतक मोहित को घर के पास ही थ्रेसर के सहारे गले मे रस्सी बांधकर आत्महत्या का रूप देने के लिए जमीन पर रख दिया थे। खोजबीन पर जब घर वालो ने मृतक मोहित यादव को थ्रेसर के पास रात 9 बजे गले मे रस्सी बँधा देखा था तो शोरगुल किये और इलाज हेतु अस्पताल भदोही लेकर गये थे जहाँ डाक्टरो ने मृत घोषित कर दिया था। सिन्टू उर्फ कमलेश पुत्र मुन्ना यादव व चिन्टू उर्फ राकेश पुत्र वैजनाथ यादव द्वारा गैर इरादतन मोहित की हत्या कारित की गयी है।

इस प्रकरण में वादी मुकदमा के अतिरिक्त मृतक के पिता मुन्ना यादव उर्फ़ मूलचंद यादव द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांकित 17.10.2020 अपने पुत्र की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक ज्ञानपुर को देते हुए यह कहा गया था कि शाम करीब 9 बजे रात उसके लड़का मोहित यादव ने अज्ञात कारणों से फांसी लगा लिया था, जिसे इलाज हेतु जीवनदीप हॉस्पिटल भदोही तत्काल लेकर गए जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र दे रहा है। अतः इस प्रकरण में वादी मुकदमा उप–निरीक्षक महेंद्र कुमार है न की मृतक के पिता (मूलचंद यादव)। उपरोक्त के अनुक्रम में अभियुकगण के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई तथा सम्बंधित थाने द्वारा सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. प्रेषित किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत /बयान दर्ज कराते समय मृतक के पिता मुन्ना यादव उर्फ़ मूलचंद यादव को बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 के रूप परीक्षित कराया गया जबकि वादी मुकदमा उप निरीक्षक महेंद्र कुमार को बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–10 परीक्षित कराया गया है। विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करते समय विवेचनाधिकारी द्वारा तथ्य के साक्षियों में सज्जन प्रजापति का नाम बतौर चक्षुदर्शी साक्षी अंकित किया गया है। उपरोक्त सज्जन प्रजापति को प्रकरण में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–4 परीक्षित कराया गया है। जबकि आरोप पत्र में साक्षी के रूप में उल्लिखित शेष साक्षियों को परिस्थितिजन्य साक्षी के रूप में दर्ज किया गया है। उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्षियों

में मृतक के पिता मूलचंद यादव, मृतक की भाभी सीमा, रजत उपाध्याय, प्रसेनजीत प्रजापति, धीरज विश्वकर्मा आदि तथा पंचनामे के गवाह प्रवीन प्रजापति को बतौर तथ्य के गवाह परीक्षित कराया गया है ।

मृतक के पिता मूलचंद अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 के द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि उसकी जानकारी में बैजनाथ के लड़के राकेश @ चिंटू के घर पर शराब, मुर्गा पार्टी नहीं हुई थी। उसका बैजनाथ के यहाँ खाना पीना होता है। कोई झगड़ा विवाद होने की उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। जिरह के दौरान गवाह को जब धारा 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने इंकार किया और कहा कि विवेचक उसका कोई बयान नहीं लिए थे कैसे लिख लिए वह वजह नहीं बता सकता और यह कहना गलत है कि अभियुक्त के परिवार का होने के कारण उन्हें बचाने के लिए वह झूठा बयान दे रहा है। अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता की ओर से की गई जिरह में इस साक्षी ने कहा कि मोहित को लेकर उसके सात लड़के थे, अब छः है। चिंटू @ राकेश और कमलेश @ सिंटू कोई शराब, मुर्गा की पार्टी नहीं किये थे, अभियुक्तगण मोहित को मारे पीटे नहीं थे। उसके गाँव में शराब की बिक्री होती थी। शराब बिक्री को लेकर उनलोगों ने प्रभारी चौकी असनाँव के खिलाफ पुलिस उच्चाधिकारियों से शिकायत किया था। शराब की चोरी से बिक्री गाँव के प्रजापति समाज के लोग करते थे। बाद में जांच होने पर मोहित ने प्रजापति समाज के लोगों की व पुलिस चौकी प्रभारी असनाँव की शिकायत पुलिस उच्चाधिकारियों से किया था। उस शिकायत को लेकर प्रजापति समाज के लोगों ने और चौकी इंचार्ज असनाँव मोहित को धमकी दिए थे, जिससे मोहित डर गया था दिनांक 17.10.2020 को मोहित घर से निकला और रात में नौ बजे तक वापस नहीं आया तो उनलोग उसे खोजने लगे। उनलोगों ने देखा कि थ्रेसर के ऊपर वाले भाग से मोहित के गले में रस्सी लगी हुई थी, उसी से लटका मिला। मोहित को चिंटू @ राकेश और कमलेश उर्फ़ सिंटू ने न मारा था, न डराया था और न धमकाए और मोहित की हत्या किये। इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि मोहित की हत्या में चिंटू @ राकेश और कमलेश @ सिंटू का कोई हाथ नहीं है। **अभियोजन साक्षी क्रमांक –2 (मृतक की भाभी)** ने अपनी मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि पंचायतनामा के समय किसी ने सिंटू @ कमलेश, चिंटू @ राकेश के बारे में कोई शिकायत नहीं किया था । सिंटू @ कमलेश और चिंटू @ राकेश ने मोहित को मारा पीटा नहीं था और न मोहित की हत्या किया था। उसके सामने चिंटू, सिंटू मोहित को को न मारे पीटे थे न चोट पहुचाये थे। राकेश यादव के घर पर कोई शराब पार्टी नहीं हुई थी और न उसको लेकर मोहित ने किसी की शिकायत किया था। गवाह को धारा 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने इंकार किया और कही कि दरोगा ने उसका कोई बयान नहीं लिया था कैसे लिख लिए वह वजह नहीं बता सकती। अभियुक्त के

विद्वान् अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि अभियुक्त सिंटू @ कमलेश और चिंटू @ राकेश ने मोहित के साथ कोई घटना कारित नहीं किया था। मोहित से अभियुकगण का कोई विवाद नहीं था, उनका आपस में सम्बन्ध व व्यवहार अच्छा था। उसके परिवार के लोग चौकी इंचार्ज असनाँव की गाँव में गलत ढंग से बेचीं जा रही शराब की शिकायत पुलिस अधिकारियों से किये थे। उसी शिकायत से पुलिस चौकी असनाँव के दरोगा रंजिश रखते थे उसी रंजिशवश अभियुक्तगण को गलत ढंग से इस मुक़दमे में फसा दिए। **अभियोजन साक्षी क्रमांक–3** द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि पंचायतनामा के समय लोगो द्वारा पुलिस को यही बताया गया था कि मोहित ने आत्महत्या किया है। मोहित के साथ किसी प्रकार क अपराध या घटना कमलेश व राकेश ने नहीं किया न ऐसी कोई बात गाँव में उनलोगों के संज्ञान में आई है। **अभियोजन साक्षी क्रमांक–4** ने भी अपने बयान अंतर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. से इंकार किया और अपनी जिरह में कथन किया है कि उसके सामने किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी न उसके दुकान पर मोहित आता ही था। उसकी दुकान पर मोहित को किसी ने न तो मारा पीटा था और न ही मोहित को लेकर कोई कहा सुनी हुई थी। जहाँ पर मोहित थ्रेसर से लटका हुआ था वहां पर वह नहीं गया था न तो उसने ऐसी कोई घटना ही देखी थी। **अभियोजन साक्षी क्रमांक–5** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 17.10.2020 को उसकी दुकान पर मोहित नहीं आया था और न चिंटू उर्फ़ राकेश ही आया था। वह चिंटू उर्फ़ राकेश के यहाँ मुर्गा पार्टी में नहीं गया था। गाँव वालों से सुना था कि मोहित आत्म हत्या कर लिया है। इस साक्षी ने भी बयान अंतर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. से इंकार किया और अपनी जिरह में कथन किया है कि उसने पुलिस या विवेचक को राकेश यादव @ चिंटू व कमलेश के बारे में कोई बयान नहीं दिया था। दौरान पंचनामा लोग यही कह रहे थे कि मोहित ने आत्महत्या कर लिया है। मोहित के साथ किसी प्रकार का अपराध कमलेश व राकेश ने नहीं किया और न ही कोई इस प्रकार कि बात गाँव में उनलोगों कि जानकारी में आई। **अभियोजन साक्षी क्रमांक–6** ने अपने परीक्षण के दौरान कथन किया कि उसने दरोगा को 161 सी.आर.पी.सी. में उल्लिखित कोई बयान नहीं दिया था। उसने दरोगा को यह नहीं बताया था कि दिनांक 15.10.2020 को चिंटू के घर मीट दारु की पार्टी थी जिसमे चिंटू @ राकेश, कमलेश @ सिंटू, रजत कुमार उपाध्याय, धीरज विश्वकर्मा, प्रदीप प्रजापति और वे भी था। **अभियोजन साक्षी क्रमांक–7** ने अपने जिरह में कथन किया है कि वह प्रवीण कुमार प्रजापति के साथ चिंटू के घर नहीं गया था। उसके सामने कोई शराब पार्टी, मुर्गा पार्टी नहीं हुई थी। उसके सामने शराब की बात को लेकर किसी प्रकार की बात या कहा सुनी नहीं हुई थी। यह घटना कैसे हुई उसे कोई जानकारी नहीं है। शराब व मुर्गा वाली कहानी पुलिस ने अपने मन से बनाई है। **अभियोजन साक्षी क्रमांक–8** ने अपने जिरह में कथन किया है कि मोहित यादव कैसे मरा यह वे नहीं जानता। पंचनामा की कार्यवाही कितने बजे शुरू हुई थी वह नहीं जानता। दरोगा ने दस्तखत उससे थाने पर बनवाये थे पंचनामा के बारे में उसे

कुछ बताया नहीं था। **अभियोजन साक्षी क्रमांक–9** ने अपने जिरह में कथन किया है कि मोहित यादव की मृत्यु कैसे हुई थी वह नहीं बता सकता। पंचनामा की कार्यवाही कितने बजे शुरू हुई वह नहीं बता सकता। दरोगा उससे थाने पर हस्ताक्षर करवाए थे।

उप निरीक्षक महेंद्र कुमार पाल को बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–10 परीक्षित कराया गया जिसके द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किया गया है कि वह रात भर घटनास्थल पर मौजूद था। मृतक के गले में केवल लाल दार लालिमा पाई गई थी और कहीं चोट नहीं पाई गई थी। पंचनामा में राय पंचान व उसकी राय में मृतक का फांसी लगाने से मृत्यु लिखा गया है। घटनास्थल पर खून नहीं देखा था। डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता को बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–12 परीक्षित कराया गया है जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम किया था। इस साक्षी के बयान में आया है कि मृत्यु का तत्कालिक कारण Asphyxia (दम घुटना) व मृत्यु की वजह एंटीमॉर्टम थ्रॉटलिंग है। मृतक के चेहरे पर कोई हिंसात्मक चोट नहीं है।

12. उपरोक्त अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 से 9 तक को उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान के आधार पर पक्षद्रोही घोषित किया गया जिनमे मृतक के पिता व भाभी भी शामिल हैं। शेष साक्षीगण औपचारिक गवाह है। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है ।

13. सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि साक्षीगणो द्वारा अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट रूप से कहा जा सके कि मोहित (मृतक) की हत्या अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई है। अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य, परिस्थितियों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विवेचन व विश्लेषण से अभियोजन इस तथ्य को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्तगण चिंटू @ राकेश यादव और सिंटू @ कमलेश यादव ने मोहित (मृतक) की हत्या कारित की है। चूँकि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण चिंटू @ राकेश यादव और सिंटू @ कमलेश यादव के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–233 सन 2020 में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–302 भारतीय दंड संहिता, थाना ज्ञानपुर, जिला भदोही के मामले में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, अतएव अभियुक्तगण चिंटू उर्फ़ राकेश यादव पुत्र बैजनाथ यादव व सिंटू उर्फ़ कमलेश यादव पुत्र मूलचंद यादव उर्फ़ मुन्ना यादव, निवासीगण बैराखास थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही आरोपित अपराध में संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

14. <u>**आदेश**</u>

सत्र परीक्षण संख्या–28/2021, राज्य बनाम चिंटू उर्फ़ राकेश यादव आदि अंतर्गत धारा–302 भारतीय दंड संहिता, थाना–ज्ञानपुर, सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 233 सन् 2020 में अभियुक्तगण चिंटू उर्फ़ राकेश यादव पुत्र बैजनाथ यादव व सिंटू उर्फ़ कमलेश

यादव पुत्र मूलचंद यादव उर्फ़ मुन्ना यादव, निवासीगण बैराखास थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही को उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हैं ।

अभियुक्तगण जमानत पर है उनके जमानत बंधपत्र निरस्त कर प्रतिभूओं को उनके दायित्व से मुक्त किया जाता है।

दोषमुक्तगण के द्वारा अंतर्गत धारा–437ए द०प्र०सं० के तहत 20,000/– रूपये की पूर्व में दाखिल दो जमानतें अपील अवधि तक के लिये प्रभावी रहेगें।

दिनांक–08.07.2026

(डॉ० अमित वर्मा)
जे.ओ. कोड–यू.पी. 2412
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1
भदोही–ज्ञानपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–08.07.2026

(डॉ० अमित वर्मा)
जे.ओ. कोड–यू.पी. 2412
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by AMIT VERMA
Date: 2026.07.27 11:23:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court